फाइल संख्या 16/04/2017-इनफ्रा-I
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
इनफ्रा-I अनुभाग
***

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 21 मार्च, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : भारत में आईसीडी, सीएफएस और एएफएस की स्थापना तथा मंशा पत्र (एलओआई) की अवधि बढ़ाने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 03 मार्च, 2017 को पूर्वाह्न 11:30 बजे कमरा नंबर 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित अंतर्मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय का हवाला देने तथा अनुशीलन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए श्री ए के भल्ला, विदेश व्यापार महानिदेशक की अध्यक्षता में 03 मार्च, 2017 को पूर्वाह्न 11:30 बजे कमरा नंबर 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित अंतर्मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न करने का निदेश हुआ है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

(बी प्रवीण)
निदेशक (इनफ्रास्ट्रक्चर)
टेलीफोन नंबर : 23062704
फैक्स : 23063418
ईमेल : b.praveen@nic.in

सेवा में

1. नागर विमानन मंत्रालय (डा. रेनू सिंह परमार, वरिष्ठ सलाहकार), राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली, टेलीफैक्स : 24629322 , ईमेल : eco-adv.moca@nic.in
2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड {श्री एल सत्या श्रीनिवास, संयुक्त सचिव (सीमा शुल्क)}, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली, फैक्स नंबर 23093475, ईमेल : jscus@nic.in
3. रेल मंत्रालय {श्री अजय बहेरा, कार्यपालक निदेशक (टीटीएस)}, रेल भवन, नई दिल्ली, फैक्स नंबर 23303668 और 23383506, ईमेल : ajoy.behera@hotmail.com
4. पोत परिवहन मंत्रालय {श्री रवीन्द्र कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव (एसएम)}, परिवहन भवन, नई दिल्ली, फैक्स नंबर 23328549, ईमेल: rabindra.a@ias.nic.in

प्रति प्रेषित : विदेश व्यापार महानिदेशक (एकेबी) के प्रधान निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एससी) के निजी सचिव, निदेशक (बीपी) के निजी सचिव, अवर सचिव (आरआरके)

वाणिज्य विभाग

इनफ्रा-I अनुभाग

*****

आईसीडी / सीएफएस / एएफएस स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए श्री ए के भल्ला, महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) की अध्यक्षता में 03 मार्च, 2017 को आयोजित अंतर्मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की बैठक का कार्यवृत्त

भारत में इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) / कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) / एयर फ्रेट स्टेशन (एएफएस) की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए श्री ए के भल्ला, विदेश व्यापार महानिदेशक की अध्यक्षता में 03 मार्च, 2017 को उद्योग भवन, नई दिल्ली में अंतर्मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की बैठक हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया : -

1. श्री संजय चड्ढा, संयुक्त सचिव (इनफ्रास्ट्रक्चर), वाणिज्य विभाग
2. श्री अजय कुमार बेहरा, ईडी (टीटीएस), रेल मंत्रालय
3. श्री आर के अग्रवाल, संयुक्त सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय,
4. श्री बी प्रवीण, निदेशक (इन्फ्रास्ट्रक्चर), वाणिज्य विभाग
5. श्री जुबैर रियाज, निदेशक, कस्टम, सीबीईसी, राजस्व विभाग
6. श्री आर राजाकन्नू, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग
7. श्री एम रामा प्रताप, अनुभाग अधिकारी, इनफ्रा-I अनुभाग

2. चर्चा शुरू करते हुए आईएमसी के अध्यक्ष ने आईएमसी के पिछले निर्णय को दोहराया कि जिन मामलों में आईएमसी ने संबंधित मंत्रालय की आईएमसी के सदस्य की लंबित औपचारिक टिप्पणियां प्राप्त कर ली हैं और विकासक ने सभी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं उनको आईएमसी की अगली बैठक की प्रतीक्षा के बगैर औपचारिक टिप्पणियों की प्राप्ति पर प्रोसेस किया जा सकता है और फाइल पर क्लियर किया जा सकता है परंतु शर्त यह है कि पुष्टि के लिए यह आईएमसी की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2.1 नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-16026/4/2014-ईआर (भाग) दिनांक 02 मार्च, 2017 के माध्यम से बताया है कि इस विषय को देखने वाले नागर विमानन मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार और निदेशक के व्यस्त होने के कारण उक्त बैठक के लिए नागर विमानन मंत्रालय से किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त करना संभव नहीं है। तथापि, उन्होंने आईसीडी / सीएफएस / एएफएस की स्थापना से संबंधित लंबित प्रस्तावों पर लिखित निवेदन प्रस्तुत किया है।

3. विकासकों के साथ बातचीत के दौरान आईएमसी द्वारा पाया गया कि अनेक मामलों में विकासकों ने मंशा पत्र (एलओआई) जारी होने से पूर्व निवेश करना तथा अवसंरचना का सृजन करना शुरू कर दिया है। महसूस किया गया कि इस रुझान से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां किया गया निवेश उस समय परियोजना की लाभप्रदता से संबंधित मुद्दों पर अधिभावी हो सकता है जब आईएमसी द्वारा उस पर विचार किया जाएगा। यह ऐसे लोकेशन में अधिक स्पष्ट हो सकता है जहां इस तरह की सुविधाएं पहले ही काफी संख्या में मौजूद हैं; पर्याप्त अवसंरचना आदि का अभाव है।

3.1 ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए कुछ दिशानिर्देश तैयार करने की आवश्यकता है। निर्णय लिया गया कि दिशानिर्देशों पर वाणिज्य सचिव का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाए।

I. 18 अक्टूबर, 2016 को आयोजित आईएमसी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

आईएमसी ने 18 अक्टूबर, 2016 को आयोजित आईएमसी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

II. पुष्टि के मामले (4)

एजेंडा नंबर 1 (पुष्टि का मामला)

ग्राम भंबोली, तालुक खेड, जिला पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स एपीएम टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) की स्थापना की अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/38/2015-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने 17 नवंबर, 2016 को मैसर्स एपीएम टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जारी किए गए मंशा पत्र (एलओआई) की पुष्टि की।

एजेंडा नंबर 2 (पुष्टि का मामला)

वीरमगांव, जिला अहमदाबाद, गुजरात में मैसर्स गेटवे रेल फ्रेट लिमिटेड द्वारा इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/04/2016-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने 17 नवंबर, 2016 को मैसर्स गेटवे रेल फ्रेट लिमिटेड को जारी किए गए मंशा पत्र (एलओआई) की पुष्टि की।

एजेंडा नंबर 3 (पुष्टि का मामला)

हजीरा पोर्ट के पास, हजीरा, गुजरात में मैसर्स हिंद टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/07/2016-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने 15 नवंबर, 2016 को मैसर्स हिंद टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड को जारी किए गए मंशा पत्र (एलओआई) की पुष्टि की।

एजेंडा नंबर 04 (पुष्टि का मामला)

मीलावट्टम गांव, हार्बर एक्सप्रेस हाई रोड, तूतीकोरीन, तमिलनाडु में मैसर्स एएलएस तूतीकोरीन टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/16/2016-इनफ्रा-I)

आईएमसी ने 13 फरवरी, 2016 को मैसर्स एएलएस तूतीकोरीन टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड को जारी किए गए मंशा पत्र (एलओआई) की पुष्टि की।

III. 18 अक्टूबर, 2016 को आयोजित पिछली आईएमसी बैठक के आस्थगित प्रस्ताव (11)

एजेंडा नंबर 05 : (आस्थगित प्रस्ताव)

सुरारेड्डी पलेम, प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स एएस शिपिंग एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इनलैंड कंटेनर डीपो (आईसीडी) की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/15/2016-इनफ्रा-I)

इनफ्रा प्रभाग द्वारा आवेदन पर निम्नलिखित टिप्पणियों से अवगत कराया गया :

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-16026/178/2015-ईआर दिनांक 2 अगस्त, 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि प्रदान करने के लिए उनके पास कोई टिप्पणी नहीं है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 14033/2/2016-पीडी-V भाग 3 दिनांक 24 अगस्त 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

रेल मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 10 नवंबर, 2016 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

सीबीईसी ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 434/12/2016-सीमा शुल्क-IV दिनांक 6 फरवरी 2017 के माध्यम से अपने सैद्धांतिक अनुमोदन से अवगत कराया है जिसमें कहा गया है कि सीबीईसी ऐसी एजेंसियों में से एक है जो आईएमसी में भाग लेती है, अंतिम निर्णय आईएमसी द्वारा लिया जा सकता है। इसके अलावा, प्रस्तावित सुविधा में कस्टम स्टाफ के लिए लागत वसूली प्रभागों का भुगतान तथा कस्टम स्टाफ की आवश्यकता सहित सीमा शुल्क क्षेत्र विनियम 2009 में कार्गो की हैंडलिंग से संबंधित मुद्दों के बारे में आवेदक को तब सूचित किया जाएगा जब आईएमसी द्वारा अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा।

आईएमसी के सदस्यों की सभी अनुकूल टिप्पणियों पर विचार करने के बाद आईएमसी ने मंशा पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

एजेंडा नंबर 06 : (आस्थगित प्रस्ताव)

दिघी, पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स डायनेमिक लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मौजूदा आईसीडी पर एयर फ्रेट स्टेशन की स्थापना (फाइल संख्या 23/04/2015-इनफ्रा-1)

इनफ्रा प्रभाग द्वारा आवेदन पर निम्नलिखित टिप्पणियों से अवगत कराया गया :

रेल मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7 सितंबर 2015 के माध्यम से बताया कि प्रदान करने के लिए उनके पास कोई टिप्पणी नहीं है इसलिए उनको कोई आपत्ति नहीं है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8 सितंबर 2015 के माध्यम से बताया है कि प्रदान करने के लिए उनके पास कोई टिप्पणी नहीं है।

नागर विमानन मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-16026/165/20150-ईआर दिनांक 15 अक्टूबर 2015 के माध्यम से प्रस्ताव की सिफारिश की है तथा बताया है कि आवेदक एसओ 2578 में निहित बीसीएएस अनुदेशों के अनुसरण में रेगुलेटेड एजेंट स्टेटस के लिए आवेदन कर सकता है।

सीबीईसी ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 434/15/2015-सीमा शुल्क-IV दिनांक 17 अक्टूबर 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि यह प्रस्ताव मौजूदा आईसीडी में एएफएस की स्थापना के लिए है। राजस्व विभाग का यह दृढ़ मत है कि आईसीडी को ट्रांसशिप के माध्यम से एयर कार्गो को हैंडल करने के लिए अधिकृत किया गया है। अत: सीबीईसी की यह राय है कि मौजूदा आईसीडी में एएफएस की स्थापना से किसी नई सुविधा का सृजन नहीं होगा।

सीबीईसी ने सूचित किया कि आईसीडी से एयरपोर्ट तक ट्रांसशिपमेंट की प्रक्रियाएं परिभाषित हैं।

आईएमसी ने सीबीईसी की टिप्पणियों पर विचार किया और राय व्यक्त की कि चूंकि मैसर्स डायनेमिक लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड पहले से मौजूद आईसीडी पर एयर फ्रेट स्टेशन स्थापित करना चाहता है इसलिए अलग से मंशा पत्र जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ट्रांसशिपमेंट के माध्यम से एयर कार्गो को हैंडल करने के लिए आईसीडी को पहले से ही अधिकृत किया गया है।

आईएमसी ने विकासक को यह सूचित करने का निर्णय लिया कि एएफएस की स्थापना के लिए अलग से मंशा पत्र जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैसर्स डायनेमिक लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड क्रियाशील आईसीडी है और ट्रांसशिपमेंट के माध्यम से एयर कार्गो को हैंडल करने के लिए अधिकृत है।

एजेंडा नंबर 7 : (आस्थगित प्रस्ताव)

किला रायपुर, जिला लुधियाना, पंजाब में मैसर्स अडानी लाजिस्टिक्स लिमिटेड द्वारा इनलैंड कंटेनर डीपो (आईसीडी) की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/12/2016-इनफ्रा-1)

इनफ्रा प्रभाग द्वारा सूचित की गई अंतर्मंत्रालयी टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 04 अगस्त, 2016 के माध्यम से सूचित किया कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है। पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24 अगस्त, 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्प्णी नहीं करनी है।

रेल मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 30 सितंबर, 2016 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

सीबीईसी ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 434/11/2016-सीमा शुल्क-IV दिनांक 14 फरवरी 2016 के माध्यम से

सूचित किया कि पिछले 5 वर्षों के दौरान पहले से मौजूद आईसीडी / सीएफएस द्वारा हैंडल किए गए कंटेनर की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसके अलावा, मौजूदा आईसीडी के वर्षवार निष्पादन के विश्लेषण से पता चलता है कि ये आईसीडी हैंडल करने की अपनी वार्षिक क्षमता से 50 प्रतिशत कम क्षमता पर औसतन कार्य कर रहे हैं।

तथापि, विकासक ने एरिया से सृजित हो रहे अतिरिक्त ट्रैफिक का उल्लेख किया और कहा कि कंटेनर के मूवमेंट को रोड से रेल की ओर डाइवर्ट करके अधिक रेल आधारित सेवाएं उपलब्ध होंगी।

आईसीडी का प्रस्तावित लोकेशन वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर के रूट के जंक्शन पर है जो वर्तमान आईसीडी के लोकेशन से भिन्न है जिससे भारतीय रेल द्वारा प्रचालन करने के लिए प्रस्तावित डबल स्टैक कंटेनर पर लगाए जाने वाले कम रेल फ्रेट प्रभार से इसे लाभ होगा। यह लाभ ग्राहक को अंतरित किया जा सकता है।

देखा गया कि आवेदक द्वारा अपने प्रस्ताव में कंटेनर ट्रैफिक (टीईयू) का जो अनुमान उपलब्ध कराया गया है वह सीमा शुल्क के अनुमानों से भिन्न है।

आईएमसी ने आईएमसी के सदस्यों की टिप्पणियों पर विचार किया तथा विकासक को सीबीईसी द्वारा उल्लिखित एग्जिम ट्रैफिक के अनुसार अपनी संभाव्यता रिपोर्ट में ट्रैफिक के अनुमानों पर विस्तृत औचित्य प्रदान करने का निदेश दिया। विकासक से विस्तृत औचित्य प्राप्त होने पर सीबीईसी प्रदान किए गए ब्यौरों की जांच कर सकती है और प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर सकती है।

संयुक्त विकास करार (जेओए) की स्वीकृति के संदर्भ में आईएमसी ने राय व्यक्त की कि हम विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी कार्य विभाग की विधिक सलाह की प्रतीक्षा कर सकते हैं।

पुनर्विचार के लिए सीबीईसी को विकासक से ट्रैफिक के अनुमानों पर विस्तृत औचित्य तथा जेओए पर विधि एवं न्याय मंत्रालय से विधिक सलाह के अभाव में प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 08 : (आस्थगित प्रस्ताव)

ग्राम मरानायकनहल्ली, तालुक अनेकल, बेंगलुरू, कर्नाटक में मैसर्स डिस्ट्रीब्यूशन लाजिस्टिक्स इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम मैसर्स विक्रम लाजिस्टिक्स एंड मैरीटाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड था) द्वारा रेल लिंक्ड आईसीडी की स्थापना (फाइल संख्या 16/14/2015-इनफ्रा-1)

इनफ्रा प्रभाग द्वारा सूचित की गई टिप्पणियों की स्थिति इस प्रकार है :

नागर विमानन मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-16026/168/2015-ईआर दिनांक 27 सितंबर, 2016 में बताया है कि प्रदान करने के लिए उनके पास कोई टिप्पणी नहीं है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या पीडी-14033/2/2016- पीडी-V दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

रेल मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2014/टीटी-III/99/2 दिनांक 26 अगस्त, 2015 में बताया है कि आईसीडी की स्थापना पर उनको कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा संशोधित रोड लिंक्ड प्रस्ताव पर, रेल मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-3/99/2 दिनांक 18 जनवरी 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि मूल प्रस्ताव के अनुसार अपनी रेल संबद्ध सुविधा के साथ प्रस्ताव विकसित किया जाना चाहिए।

निर्णय : सीबीईसी और कर्नाटक राज्य सरकार से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 09 : (आस्थगित प्रस्ताव)

नंबर 5, अरियालूर गांव, माधावरम तालुक, चेन्नई में मैसर्स सबरी वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/20/2016-इनफ्रा-I)

विकासक ने आईएमसी की बैठक में भूमि प्रयोग परिवर्तन (सीएलयू) प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है तथा अवसंरचना प्रभाग द्वारा इसकी जांच की जाएगी।

इनफ्रा प्रभाग द्वारा सूचित की गई टिप्पणियों की स्थिति इस प्रकार है :

रेल मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 08 सितंबर, 2016 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है। तथापि, आईएमसी का ध्यान चेन्नई क्षेत्र में सीएफएस की बहुलता के वर्तमान मुद्दे तथा सड़क पर परिणामी भीड़-भाड़ की ओर आकृष्ट किया गया।

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/128/2016-ईआर दिनांक 04 नवंबर, 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

निर्णय : सीबीईसी तथा पोत परिवहन मंत्रालय से टिप्पणियां प्राप्त न होने और विकासक द्वारा प्रस्तुत सीएलयू स्वीकृत न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 10 : (आस्थगित प्रस्ताव)

काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में मैसर्स फार्चुना पोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/23/2016-इनफ्रा-1)

आईएमसी को सूचित किया गया कि पंजीकृत पट्टा विलेख के स्थान पर विकासक ने बंदरगाह विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार तथा मैसर्स फार्चुना पोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच 30 साल के लिए पट्टा करार प्रस्तुत किया है। विकासक ने बंदरगाह विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या डीओपी/डी3/152/2017 दिनांक 2 फरवरी 2017 भी प्रस्तुत किया है जिसमें बताया गया है कि पट्टे की भूमि पर विकासक द्वारा सीएफएस की स्थापना पर उनको कोई आपत्ति नहीं है। विकासक ने प्रस्तावित लोकेशन पर सीएफएस की स्थापना के लिए काकीनाडा सीपोर्ट्स लिमिटेड से भी एनओसी दिनांक 14 अक्टूबर 2016

प्रस्तुत किया है। चूंकि संबंधित भूमि सरकारी भूमि है इसलिए आईएमसी की यह राय थी कि इसे स्वीकार किया जा सकता है।

इनफ्रा प्रभाग द्वारा सूचित की गई टिप्पणियों की स्थिति इस प्रकार है :

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/119/2016-ईआर दिनांक 6 अक्टूबर, 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्प्णी नहीं करनी है।

रेल मंत्रालय रेल मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 05 अक्टूबर,2016 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

सीबीईसी तथा पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया है कि वे अपनी टिप्पणियां शीघ्र भेजेंगे।

निर्णय : सीबीईसी और पोत परिवहन मंत्रालय से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 11 : (आस्थगित प्रस्ताव)

ग्राम डिघोडे, तालुक उड़ान, रायगढ़, महाराष्ट्र में मैसर्स स्किल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/24/2015-इनफ्रा-1)

इनफ्रा प्रभाग द्वारा सूचित की गई टिप्पणियों की स्थिति इस प्रकार है :

रेल मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2014/टीटी-III/99/2 दिनांक 09 सितंबर, 2016 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है। तथापि, आईएमसी जेएनपीटी एरिया में सीएफएस की बहुलता के मुद्दे की जांच कर सकता है।

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-16026/171/2015-ईआर दिनांक 29 सितंबर, 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है। तथापि, प्रमोटर द्वारा प्रस्तावित सीएफएस से एयर कार्गो की प्रोसेसिंग की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है।

निर्णय : सीबीईसी तथा पोत परिवहन मंत्रालय से टिप्पणियां और विकासक से अपेक्षित प्रलेखन / सीएलयू पर स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 12 : (आस्थगित प्रस्ताव)

उड़ान, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में मैसर्स न्हावा शेवा सीएफएस एंड एग्रीपार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए प्रस्ताव जो 01 अक्टूबर, 2014 को प्राप्त हुआ है (फाइल संख्या 16/20/2014-इनफ्रा-1)

इनफ्रा प्रभाग द्वारा सूचित की गई टिप्पणियों की स्थिति इस प्रकार है :

रेल मंत्रालय : अपने ज्ञापन संख्या 2014/टीटी-III/99/2 दिनांक 17 नवंबर, 2014 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है क्योंकि इस परियोजना में कोई रेल कनेक्टिविटी नहीं है। तथापि, इसके द्वारा आईएमसी का ध्यान जेएनपीटी पर सीएफएस की बहुलता और इस क्षेत्र में परिणामी भीड़-भाड़ के मुद्दे की ओर आकृष्ट किया जाता है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या पीटी-11033/46/2014-पीटी दिनांक 20 जनवरी, 2015 के माध्यम से सूचित किया है कि एसओपी में उल्लिखित कुछ शर्तों के अधीन प्रस्ताव पर उनको कोई आपत्ति नहीं है।
नागर विमानन मंत्रालय : प्रस्ताव की प्राप्ति तथा आईएमसी के सदस्यों को परिचालन के समय आईएमसी के अधिदेश में एएफएस के लिए अनुमोदन शामिल नहीं था इसलिए नागर विमानन मंत्रालय को प्रस्ताव परिचालित नहीं किया गया।

निर्णय : सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 13 : (आस्थगित प्रस्ताव)

फतेहपुर गांव, शंकरपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में मैसर्स एस वी मल्टी लाजीटेक द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/28/2015-इनफ्रा-1) (फाइल संख्या 16/28/2015-इनफ्रा-1)

इनफ्रा प्रभाग द्वारा सूचित की गई टिप्पणियों की स्थिति इस प्रकार है :

पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 14033/23/2015-पीडी-V दिनांक 2 दिसंबर 2015 के माध्यम से प्रस्ताव का समर्थन किया है।

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-16026/179/2015-ईआर दिनांक 10 नवंबर, 20165 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

रेल मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2014/टीटी-III/99/2 दिनांक 02 फरवरी, 2016 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

निर्णय : सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 14 : (आस्थगित प्रस्ताव)

दक्षिण 24 परगना जिला, वाट्टगुज, सोनापुर रोड, कोलकाता में मैसर्स आल कार्गो लाजिस्टिक्स लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/19/2016-इनफ्रा-1)

इनफ्रा प्रभाग द्वारा सूचित की गई टिप्पणियों की स्थिति इस प्रकार है :

रेल मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 18 अगस्त, 2016 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है। तथापि, आईएमसी का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया जाता है कि कोलकाता बंदरगाह के बिलकुल आसपास 4 सीएफएस पहले से ही काम कर रहे हैं और अनुमोदन प्रदान करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए।

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/84/2016-ईआर दिनांक 15 सितंबर, 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या पीडी-14033/2/2016-पीडी-V-भाग V दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

निर्णय : सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 15 : (आस्थगित प्रस्ताव)

रेवेन्यू सर्वे नंबर 2/1, ग्राम भोरारा, तालुक मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में मैसर्स आर्गस कंटेनर फ्रेट स्टेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस तथा बांडेड वेयरहाउस सुविधा की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/17/2016-इनफ्रा-1)

इनफ्रा प्रभाग द्वारा सूचित की गई टिप्पणियों की स्थिति इस प्रकार है :

रेल मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 26 जुलाई, 2016 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है। तथापि, आईएमसी का ध्यान मुंद्रा बंदरगाह के आसपास सीएफएस की बहुलता के वर्तमान मुद्दे की ओर आकृष्ट किया जाता है तथा अनुमोदन प्रदान करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/63/2016-ईआर दिनांक 01 अगस्त, 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्प्णी नहीं करनी है।

सीबीईसी तथा पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया है कि वे अपनी टिप्पणियां शीघ्र भेजेंगे।

निर्णय : सीबीईसी और पोत परिवहन मंत्रालय से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

IV. नए प्रस्ताव

एजेंडा नंबर 16 : (नया प्रस्ताव)

ग्राम कालंबासुरे, रायगढ़, महाराष्ट्र में मैसर्स इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल्स इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/09/2016-इनफ्रा-1)

इनफ्रा प्रभाग द्वारा सूचित की गई टिप्पणियों की स्थिति इस प्रकार है :

रेल मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि स्थापित करने के लिए प्रस्तावित सीएफएस सड़क आधारित है। आईएमसी जेएनपीटी एरिया में सीएफएस की बहुलता के मुद्दे की जांच कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि न्हावा शेवा क्षेत्र में और आसपास 34 सीएफएस पहले से ही मौजूद हैं जिनमें से केवल 3 रेल आधारित हैं।

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/34/2016-ईआर दिनांक 01 नवंबर, 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या पीडी-14033/2/2016-पीडी-V दिनांक 23 दिसंबर, 2016 के माध्यम से मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) में उल्लिखित कुछ शर्तों के अधीन अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

निर्णय : विकासक अपेक्षित सीएलयू प्रस्तुत करे। सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 17 : (नया प्रस्ताव)

ग्राम किला रायपुर, ढिल्लों, जिला लुधियाना, पंजाब में मैसर्स हिंद टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/26/2016-इनफ्रा-1)

सीबीईसी ने राय व्यक्त की है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान आईसीडी के प्रस्तावित लोकेशन में पहले से मौजूद आईसीडी / सीएफएस द्वारा हैंडल किए जाने वाले कंटेनर की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसके अलावा, मौजूदा आईसीडी के वर्षवार निष्पादन के विश्लेषण से पता चलता है कि ये आईसीडी हैंडल करने की अपनी वार्षिक क्षमता से 50 प्रतिशत कम क्षमता पर औसतन कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा बड्डी और डैपर में स्थित आईसीडी के पास लगभग कोई काम नहीं है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आवेदक द्वारा अपने प्रस्ताव में उल्लिखित कंटेनर ट्रैफिक (टीईयू) का अनुमान काल्पनिक प्रतीत होता है।

विकासक ने सूचित किया कि इस एरिया से अतिरिक्त ट्रैफिक का सृजन होने का अनुमान है और सड़क से रेल की ओर कंटेनर के मूवमेंट को डाइवर्ट करके अधिक रेल आधारित सेवाएं उपलब्ध होंगी। आईसीडी का प्रस्तावित लोकेशन वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर के रूट के जंक्शन पर है जो वर्तमान आईसीडी के लोकेशन से भिन्न है जिससे भारतीय रेल द्वारा प्रचालन करने के लिए प्रस्तावित डबल स्टैक कंटेनर पर लगाए जाने वाले कम रेल फ्रेट प्रभार से इसे लाभ होगा। यह लाभ ग्राहक को अंतरित किया जा सकता है।

देखा गया कि आवेदक द्वारा अपने प्रस्ताव में कंटेनर ट्रैफिक (टीईयू) का जो अनुमान उपलब्ध कराया गया है वह सीमा शुल्क के अनुमानों से भिन्न है।

आईएमसी ने आईएमसी के सदस्यों की टिप्पणियों पर विचार किया तथा विकासक को सीबीईसी द्वारा

उल्लिखित एग्जिम ट्रैफिक के मुकाबले में अपनी संभाव्यता रिपोर्ट में ट्रैफिक के अनुमानों पर विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करने की सलाह दी। विकासक से विस्तृत औचित्य प्राप्त होने पर सीबीईसी प्रदान किए गए ब्यौरों की जांच कर सकती है और प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर सकती है।

इनफ्रा प्रभाग द्वारा सूचित की गई टिप्पणियों की स्थिति इस प्रकार है :

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/9/2016-ईआर दिनांक 08 दिसंबर, 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या पीडी-14033/23/2015-पीडी-V दिनांक 06 दिसंबर, 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

रेल मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 27 फरवरी, 2017 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

निर्णय : सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 18 : (नया प्रस्ताव)

अहमदगढ़, लुधियाना, पंजाब में मैसर्स पंजाबम लाजिस्टिक्स इनफ्रास्ट्रक्चर द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/14/2016-इनफ्रा-1)

सीबीईसी ने राय व्यक्त की है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान आईसीडी के प्रस्तावित लोकेशन में पहले से मौजूद आईसीडी / सीएफएस द्वारा हैंडल किए जाने वाले कंटेनर की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसके अलावा, मौजूदा आईसीडी के वर्षवार निष्पादन के विश्लेषण से पता चलता है कि ये आईसीडी हैंडल करने की अपनी वार्षिक क्षमता से 50 प्रतिशत कम क्षमता पर औसतन कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, बड्डी और डैपर में स्थित आईसीडी के पास लगभग कोई काम नहीं है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आवेदक द्वारा अपने प्रस्ताव में उल्लिखित कंटेनर ट्रैफिक (टीईयू) का अनुमान काल्पनिक प्रतीत होता है।

ईडी / कोंकोर ने सूचित किया कि इस एरिया से अतिरिक्त ट्रैफिक का सृजन होने का अनुमान है और सड़क से रेल की ओर कंटेनर के मूवमेंट को डाइवर्ट करके अधिक रेल आधारित सेवाएं उपलब्ध होंगी। आईसीडी का प्रस्तावित लोकेशन वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर के रूट के जंक्शन पर है जो वर्तमान आईसीडी के लोकेशन से भिन्न है जिससे भारतीय रेल द्वारा प्रचालन करने के लिए प्रस्तावित डबल स्टैक कंटेनर पर लगाए जाने वाले कम रेल फ्रेट प्रभार से इसे लाभ होगा। यह लाभ ग्राहक को अंतरित किया जा सकता है।

देखा गया कि आवेदक द्वारा अपने प्रस्ताव में कंटेनर ट्रैफिक (टीईयू) का जो अनुमान उपलब्ध कराया गया है वह सीमा शुल्क के अनुमानों से भिन्न है।

आईएमसी ने आईएमसी के सदस्यों की टिप्पणियों पर विचार किया तथा विकासक को सीबीईसी द्वारा उल्लिखित एग्जिम ट्रैफिक के मुकाबले में अपनी संभाव्यता रिपोर्ट में ट्रैफिक के अनुमानों पर विस्तृत

औचित्य प्रस्तुत करने की सलाह दी। विकासक से विस्तृत औचित्य की प्राप्ति पर सीबीईसी प्रदान किए गए ब्यौरों की जांच कर सकती है और प्रस्ताव पर पुनिर्विचार कर सकती है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए कोंकोर पुनर्विचार के लिए सीबीईसी द्वारा जांच किए जाने के लिए एग्जिम ट्रैफिक के मुकाबले में मैसर्स दून एंड ब्रैडस्ट्रीट रिपोर्ट के अनुसार ट्रैफिक के अनुमानों पर विस्तृत औचित्य प्रस्तुत कर सकता है।

इनफ्रा प्रभाग द्वारा सूचित की गई टिप्पणियों की स्थिति इस प्रकार है :

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/146/2016-ईआर दिनांक 21 दिसंबर, 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्प्णी नहीं करनी है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या सी-25021/4/2017-एसएम दिनांक 28 फरवरी, 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

उत्तर रेलवे के पत्र संख्या 86 टी/पीएफटी/टीजीपी/पीएलआईएल/यूएमबी दिनांक 13 मई, 2016 द्वारा जारी किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन के आधार पर रेल मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 02 मार्च, 2017 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

विकासक द्वारा 1.30 एकड़ भूमि के लिए भूमि विलेख तथा सीएलयू प्रस्तुत किया गया तथा इसकी जांच की जा रही है।

सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 19 : (नया प्रस्ताव)

विचूर, चेन्नई, तमिलनाडु में मैसर्स ट्रांस वर्ल्ड टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/31/2016-इनफ्रा-1)

इनफ्रा प्रभाग द्वारा सूचित की गई टिप्पणियों की स्थिति इस प्रकार है :

रेल मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 16 जनवरी, 2016 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है। तथापि, आईएमसी का ध्यान चेन्नई क्षेत्र में सीएफएस की बहुलता और सड़कों पर परिणामी भीड़-भाड़ की मौजूदा समस्या की ओर आकृष्ट किया जाता है। साथ ही डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी (डीपीडी) में वृद्धि के लिए हाल की घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए सीएफएस की आवश्यकता की समीक्षा करने की जरूरत हो सकती है।

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/10/2016-ईआर दिनांक 17 जनवरी, 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्प्णी नहीं करनी है।

सीबीईसी तथा पोत परिवहन मंत्रालय से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है। विकासक को चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण या संबंधित प्राधिकारियों से संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र / स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना है जिसमें अन्य बातों के साथ यह उल्लेख होना चाहिए कि विकासक द्वारा प्रस्तावित लोकेशन पर सीएफएस की स्थापना पर उनको कोई आपत्ति नहीं है।

एजेंडा नंबर 20 : (नया प्रस्ताव)

ग्राम मोटा कपाया, तालुक मुंद्रा, जिला कच्छ, गुजरात में मैसर्स गणत्रा टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/03/2015-इनफ्रा-1)

इनफ्रा प्रभाग द्वारा सूचित की गई टिप्पणियों की स्थिति इस प्रकार है :

रेल मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 01 फरवरी, 2017 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है। तथापि, आईएमसी का ध्यान मुंद्रा बंदरगाह के आसपास सीएफएस की बहुलता के वर्तमान मुद्दे तथा डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी (डीपीडी) के संवर्धन के लिए उपभोक्ताओं की नवीनतम पहल की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसका सीएफएस में कंटेनर के मूवमेंट पर प्रभाव पड़ेगा।

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/16/2017-ईआर दिनांक 07 फरवरी, 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

सीबीईसी तथा पोत परिवहन मंत्रालय से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

IV. एलओआई की अवधि बढ़ाने के मामले (14 मामले)

एजेंडा नंबर 21 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

विशाखापट्टनम में मैसर्स श्रवण शिपिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/32/2011-इनफ्रा-1)

इनफ्रा प्रभाग द्वारा सूचित किया गया है कि विकासक ने पत्र दिनांक 22 दिसंबर 2016 में सूचित किया है कि वे सीआरबी पद, ईडीआई कनेक्टिविटी आदि के सृजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा 31 दिसंबर 2016 के बाद 6 माह की अवधि के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

आईएमसी ने उपर्युक्त अनुरोध पर विचार किया और 31 दिसंबर, 2016 के बाद 06 माह की अवधि के लिए अर्थात 30 जून, 2017 तक 8वीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाई।

एजेंडा नंबर 22 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

मुंद्रा तालुक, गुजरात में मैसर्स लैंडमार्क सीएफएस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/29/2015-इनफ्रा-1)

इनफ्रा प्रभाग द्वारा सूचित किया गया है कि विकासक ने आईएमसी को सूचित किया है कि उन्होंने 95 प्रतिशत कार्य पूरा किया है (अर्थात चारदीवारी का निर्माण पूरा हो गया है, फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने का काम शीघ्र पूरा हो जाएगा, यार्ड विकास, वेयरहाउसिंग, कार्यालय भवनों का निर्माण आदि का कार्य चल रहा है)। इस संबंध में उन्होंने कार्य की प्रगति दर्शाने वाले साइट के फोटोग्राफ प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने 17 दिंसबर 2016 के बाद 6 माह की अवधि के लिए पहली बार एलओआई की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है।

आईएमसी ने उपर्युक्त अनुरोध पर विचार किया और 17 दिसंबर, 2016 के बाद 06 माह की अवधि के लिए अर्थात 16 जून, 2017 तक पहली बार एलओआई की अवधि बढ़ाई।

एजेंडा नंबर 23 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

औद्योगिक परिसर रानेगृथ, कश्मीर में जे एंड के स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/37/2005-इनफ्रा-1)

विकासक की ओर से बैठक में किसी ने भी भाग नहीं लिया। तथापि, इनफ्रा प्रभाग ने सूचित किया कि पत्र संख्या सिडको/पीएस/एनडी/11/21911/187 दिनांक 27 अक्टूबर 2016 में सूचित किया गया है कि आईसीडी प्रचालन के लिए तैयार है। वे कस्टम अधिसूचना की प्रतीक्षा कर रहे हैं इसलिए 9वीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है। बढ़ाई जाने वाली अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है।

आईएमसी ने उपर्युक्त अनुरोध पर विचार किया और 25 सितंबर, 2016 के बाद 06 माह की अवधि के लिए अर्थात 24 मार्च, 2017 तक 9वीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाई।

एजेंडा नंबर 24 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

अट्टिबल, अनेकल तालुक, बंगलौर में मैसर्स पलरेचा इनफ्रास्ट्रक्चर एंड डवलपर्स द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/04/2011-इनफ्रा-1)

इनफ्रा प्रभाग द्वारा सूचित किया गया है कि विकासक ने पत्र दिनांक 19 दिसंबर 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि सभी अपेक्षित अवसंरचना पूरी हो गई है। वे कस्टम अधिसूचनाओं, सीआरबी पर कस्टम स्टाफ की तैनाती तथा ईडीआई कनेक्टिविटी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने 31 दिसंबर 2016 के बाद 6 माह की अवधि के लिए छठवीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

आईएमसी ने उपर्युक्त अनुरोध पर विचार किया और 31 सितंबर, 2016 के बाद 06 माह की अवधि के लिए अर्थात 30 जून, 2017 तक छठवीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाई।

एजेंडा नंबर 25 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

झरसूगुडा, ओडिशा में मैसर्स कोंकोर द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल

संख्या 16/29/2014-इनफ्रा-1)

इनफ्रा प्रभाग ने सूचित किया है कि विकासक ने पत्र दिनांक 24 नवंबर 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि निर्माण कार्य तथा अन्य अवसंरचना सुविधाएं पूरी हो गई हैं। धारा 7 (ए) के अंतर्गत अधिसूचना जारी हो गई है। धारा 8 और 45 के अंतर्गत कस्टम अधिसूचनाओं के जारी होने की प्रतीक्षा की जा रही है। इसलिए उन्होंने 13 दिसंबर, 2016 के बाद 03 माह की अवधि के लिए दूसरी बार एलओआई की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है।

आईएमसी ने उपर्युक्त अनुरोध पर विचार किया और 13 दिसंबर, 2016 के बाद 06 माह की अवधि के लिए अर्थात 12 जून, 2017 तक दूसरी बार एलओआई की अवधि बढ़ाई।

एजेंडा नंबर 26 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

पंतनगर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में सिडकुल कोंकोर द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/36/2013-इनफ्रा-1)

इनफ्रा प्रभाग द्वारा सूचित किया गया है कि विकासक ने आईएमसी को बताया है कि उन्होंने सभी अवसंरचना पूरी कर ली है, कस्टम अधिसूचनाएं प्राप्त हो गई हैं, एलओ कोड आवंटित हो गया है, ईडीआई कनेक्टिविटी का परीक्षण किया गया है। कस्टम ने स्टाफ की तैनाती भी कर दी है तथा वे प्रचालन शुरू करने के लिए तैयार हैं। इसलिए वे एलओआई की अवधि बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं।

विकासक से सभी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जैसे कि धारा 7 (ए), 8, 45 के अंतर्गत अधिसूचनाएं, ईडीआई / एलओ कोड / स्टाफ की तैनाती का आदेश / प्रारंभ करने की अधिसूचना आदि।

एजेंडा नंबर 27 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

ग्राम डिघोडे, उड़ान तालुक, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में मैसर्स सर्वेश्वर लाजिस्टिक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कंटेनर फ्रेट स्टेशन की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/28/2010-इनफ्रा-1)

इनफ्रा प्रभाग द्वारा सूचित किया गया है कि विकासक ने पत्र दिनांक 21 नवंबर 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि आंतरिक फिटिंग तथा फर्नीचर आदि को छोड़कर निर्माण के अधिकांश कार्य पूरे हो गए हैं। इसके अलावा उन्होंने 1 अप्रैल 2017 तक एलओआई की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है।

आईएमसी ने उपर्युक्त अनुरोध पर विचार किया और 01 अप्रैल, 2017 तक पहली बार एलओआई की अवधि बढ़ाई।

एजेंडा नंबर 28 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

मिमिडीपल्ली, रंगारेड्डी जिला, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) में मैसर्स तेलंगाना ट्रेड प्रमोशन कार्पोरेशन द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/08/2009-इनफ्रा-1) (फाइल संख्या 16/08/2009-इनफ्रा-1)

इनफ्रा प्रभाग द्वारा सूचित किया गया है कि विकासक ने पत्र दिनांक 21 फरवरी 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि कस्टम प्राधिकारियों ने साइट का निरीक्षण किया है और कुछ सिविल कार्य का सुझाव दिया है जो किए जा रहे हैं। धारा 45 के अंतर्गत अधिसूचना की प्रतीक्षा की जा रही है, इसलिए 31 दिसंबर 2016 के बाद 8 माह की अवधि के लिए 5वीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है।

आईएमसी ने उपर्युक्त अनुरोध पर विचार किया और 31 दिसंबर, 2016 के बाद 08 माह की अवधि के लिए अर्थात 31 अगस्त, 2017 तक पांचवीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाई।

एजेंडा नंबर 29 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में मैसर्स काशीपुर इनफ्रास्ट्रक्चर एंड फ्रेट टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/18/2012-इनफ्रा-1)

इनफ्रा प्रभाग द्वारा सूचित किया गया है कि विकासक ने पत्र दिनांक 20 दिसंबर 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि ईडीआई परीक्षण का काम चल रहा है और शीघ्र पूर्ण हो जाने की उम्मीद है, इसलिए 31 दिसंबर 2016 के बाद 3 माह की अवधि के लिए छठवीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है।

आईएमसी ने उपर्युक्त अनुरोध पर विचार किया और 31 दिसंबर, 2016 के बाद 03 माह की अवधि के लिए अर्थात 31 मार्च, 2017 तक छठवीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाई।

एजेंडा नंबर 30 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

हिंडौन सिटी, जिला करौली, राजस्थान में मैसर्स कृभको इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/12/2012-इनफ्रा-1)

इनफ्रा प्रभाग द्वारा सूचित किया गया है कि विकासक ने पत्र दिनांक 20 दिसंबर 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 45 के अंतर्गत अधिसूचना जारी नहीं की गई है, इसलिए 31 दिसंबर 2016 के बाद 6 माह की अवधि के लिए 9वीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है।

आईएमसी ने उपर्युक्त अनुरोध पर विचार किया और 31 दिसंबर, 2016 के बाद 06 माह की अवधि के लिए अर्थात 30 जून, 2017 तक 9वीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाई।

एजेंडा नंबर 31 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

मोदीनगर, उत्तर प्रदेश में मैसर्स कृभको इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/18/10-इनफ्रा-1)

इनफ्रा प्रभाग द्वारा सूचित किया गया है कि विकासक ने पत्र दिनांक 20 दिसंबर 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 8 और 45 के अंतर्गत अधिसूचनाएं जारी नहीं की गई हैं, इसलिए 31 दिसंबर 2016 के बाद 6 माह की अवधि के लिए 8वीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है।

आईएमसी ने उपर्युक्त अनुरोध पर विचार किया और 31 दिसंबर, 2016 के बाद 06 माह की अवधि के लिए अर्थात 30 जून, 2017 तक 8वीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाई।

एजेंडा नंबर 32 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

पटना, बिहार में मैसर्स प्रिस्टीन मगध लाजिस्टिक्स पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/6/2013-इनफ्रा-1)

इनफ्रा प्रभाग द्वारा सूचित किया गया है कि विकासक ने पत्र दिनांक 15 दिसंबर 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि अवसंरचना लगभग पूरी हो गई है। तथापि, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 7 के अंतर्गत अधिसूचना जारी नहीं की गई है, इसलिए 31 दिसंबर 2016 के बाद एक साल की अवधि के लिए 5वीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है।

आईएमसी ने उपर्युक्त अनुरोध पर विचार किया और 31 दिसंबर, 2016 के बाद 06 माह की अवधि के लिए अर्थात 30 जून, 2017 तक 5वीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाई।

एजेंडा नंबर 33 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

ग्राम अनुपमपट्टू, चेन्नई में मैसर्स सिकाल मल्टीमाडल एंड रेल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/09/2012-इनफ्रा-1)

इनफ्रा प्रभाग द्वारा सूचित किया गया है कि विकासक ने पत्र दिनांक 27 जनवरी 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि वे दक्षिण रेलवे से डीपीआर और जिला कलेक्टर से एनओसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए 31 दिसंबर 2016 के बाद एक साल की अवधि के लिए छठवीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

आईएमसी ने उपर्युक्त अनुरोध पर विचार किया और 31 दिसंबर, 2016 के बाद 06 माह की अवधि के लिए अर्थात 30 जून, 2017 तक छठवीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाई।

एजेंडा नंबर 34 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में मैसर्स विशाखा कंटेनर टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना

के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/33/2015-इनफ्रा-1)

इनफ्रा प्रभाग द्वारा सूचित किया गया है कि ईमेल दिनांक 18 फरवरी 2017 के माध्यम से विकासक ने बताया है कि अवसंरचना पूरी हो गई है। धारा 8 और 45 के अंतर्गत कस्टम अधिसूचनाएं जारी हो गई हैं। ईडीआई अवसंरचना सृजित की गई है और कस्टम द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित जांच सूची आइसगेट को वीपीएन आईडी जारी करने के लिए अग्रेषित की गई है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। विकासक ने 06 माह की अवधि के लिए छठवीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है।

आईएमसी ने उपर्युक्त अनुरोध पर विचार किया और 28 जनवरी, 2017 के बाद 06 माह की अवधि के लिए अर्थात 27 जुलाई, 2017 तक छठवीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाई।

VI. विविध मामले

एजेंडा नंबर 35

पुझाल काठिनवेदू जंक्शन माधावरम, चेन्नई में स्थित और मैसर्स कैलिक्स कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित आईसीडी के विरुद्ध प्राप्त शिकायत (फाइल संख्या 16/12/2009-इनफ्रा-1)

विकासक उपस्थित हुआ और अपने मामले के बारे में बताया। आईएमसी ने राय व्यक्त की कि मैसर्स कैलिक्स कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड क्रियाशील आईसीडी है जो कस्टम बांडेड एरिया है, इसके अलावा आईएमसी की कोई भूमिका नहीं है। सीबीईसी से तथ्यों के आधार पर शिकायत की जांच करने का अनुरोध किया गया।

****